संख्या- 16/962/बयालिस-2018-08(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018**

विषय :- वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में आर0सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-57/नि0 स्पो0का0 गोरखपुर पत्रा0/2018-19, दिनांक 13.4.2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में आर0 सी0 सी0 रोड के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा गठित आगणन लागत रू0 109.56 लाख के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 94.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में मद संख्या-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज गोरखपुर-6105-आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 57.65 लाख (रू0 सत्तावन लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 57.65 लाख (रूपया सत्तावन लाख पैसठ हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर/रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) निदेशक, खेल द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी करेगें ।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(11) निदेशक, खेल सुनिश्चित करेंगे कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(11)(छ) में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(12) वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में आर0सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन में विभिन्न मदों के लिए उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग की दरें, दिल्ली शिड्यूल ऑफ रेट, बाजार भाव एवं दर विश्लेषण की गई दरें लगायी गयी है। प्राक्कलन का परीक्षण करने पर पाया गया कि कुछ दरें बाजार भाव के अनुसार लगायी गई है, परन्तु उनके पक्ष में कोई भी कुटशेन संलग्न नही है। बाजार से सर्वे के उपरान्त दरों का सत्यापन किया गया है । अत: वास्तविक कार्य का क्रियान्वयन ई-निविदा/जेम पोर्टल के साथ वृहद प्रचास्प्रसार के साथ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(13) शासनादेश के आलोक में प्राक्कलन में अलग से लेबर सेस लगाया जाना अनुमन्य नहीं है। अत: लेवर सेस का प्राविधान प्राक्क्लन से हटा दिया गया है।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज गोरखपुर-6105-आर0सी0सी0 रोड का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 862 /दस-2018, दिनांक 28 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या - 962(1)/बयालिस-2018-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
5- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर ।
6- सचिव, प्रबन्ध समिति, स्पोर्टस कालेजेज सोसाईटी लखनऊ ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-4
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।